

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम (Law of Equi-Marginal Utility)

"Utility will be maximised when the marginal unit of expenditure in each direction brings in the same increment of utility."

—J. R. Hicks

अर्थशास्त्र में प्रतिस्थापन का नियम (Law of Substitution) व्यापक महत्व रखता है। यह नियम अर्थशास्त्र के विभिन्न विभागों के सन्दर्भ में अनेक नामों से जाना जाता है। उपभोग में इस नियम को प्रायः सम-सीमान्त उपयोगिता नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार उपभोग करने से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त होने के कारण इसे 'अधिकतम सन्तुष्टि का नियम' (Law of Maximum Satisfaction) कहते हैं। त्रूँकि यह नियम उपभोग करने का ढंग बतलाता है, इसलिए इसे उपभोग का नियम (Law of Consumption) भी कहते हैं। व्यय के सन्दर्भ में इस नियम का नाम 'मितव्ययिता का नियम' (Law of Economy) और आय के बँटवारे के सन्दर्भ में प्रो० लेपटविच के अनुसार 'आय आवंटन नियम' (Law of Income Allocation) है। कम उपयोग वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करने के कारण इसे प्रतिस्थापन नियम (Law of Substitution) की भी संज्ञा दी गई है। विभिन्न प्रयोगों में समान उपयोगिता मिलने के कारण उपभोक्ता के किसी भी वस्तु के उपयोग के प्रति तटस्थ हो जाने के कारण इसे तटस्थता का नियम (Law of Indifference) कहा गया है। आधुनिक व्याख्या के अनुसार इस नियम को आनुपातिकता का नियम (Law of Proportionality) भी कहते हैं।

वास्तव में सम-सीमान्त उपयोगिता नियम अथवा प्रतिस्थापन का नियम हमारे व्यावहारिक जीवन के अनुभवों पर आधारित है। हमें यह जात है कि हमारी

आवश्यकताएँ अनेक पूर्व साधन सीमित हैं। इन सीमित साधनों से हम अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता चाहते हैं। अतः उपभोग करते समय हम आवश्यकताओं को उनकी तीव्रता के रूप में पूरा करना चाहते हैं। यद्यपि अधिक तीव्र आवश्यकता को पूरा करने वाली वस्तु की इकाईयों की संख्या पहले प्राप्त करते हैं। इस वस्तु की इकाईयों की संख्या बढ़ने के कारण उनसे मिलने वाली उपर्योगिता कम होती जाती है (सीमान्त उपर्योगिता हाल नियम के कारण)। दूसरे शब्दों में, सामान्यत आवश्यकता की तीव्रता कम हो जाती है। अतः साधन की अगली इकाई का प्रयोग दूसरी आवश्यकता को पूरा करने वाली वस्तु की इकाई प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अर्थात् पहली वस्तु की इकाई का स्थान दूसरी वस्तु की इकाई ले लेती है। अन्य शब्दों में, पहली के स्थान पर दूसरी वस्तु प्रतिस्थापित की जाती है। प्रतिस्थापन की यह प्रक्रिया उस समय तक जारी रहती है जब तक कि दोनों (अथवा दोनों) प्रकार की वस्तुओं की सीमान्त उपर्योगिताएँ बराबर नहीं हो जाती हैं। इस प्रकार आचरण करने पर उपभोक्ता को अधिकतम सन्तुष्टि मिलती है। उत्पादन, विनियम तथा वितरण में इसे प्रतिस्थापन का नियम कहा जाना ही युक्ति-संगत है, क्योंकि इनमें अधिकतम लाभ के लिए कम उपर्योगी साधन, वरन् अश्वा कार्य को प्रतिस्थापित किया जाता है।

उपरोक्त सामान्य अनुभव को नियम के रूप में निरूपित करने का श्रेय जर्मन अर्थशास्त्री श्री गोसेन (H. H. Gossen) को है। इसलिए इस नियम को 'गोसेन का दूसरा नियम' (Second Law of Gossen) भी कहा जाता है। श्री गोसेन ने इस नियम का प्रतिपादन सन् 1858 में किया था। गोसेन के अनुसार "यदि सभी आवश्यकताओं को पूर्ण सन्तुष्टि के बिन्दु तक तृप्ति करना सम्भव नहीं है तो अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न आवश्यकताओं की सन्तुष्टि उस बिन्दु पर रोक दी जाय जिस बिन्दु पर उनकी तीव्रता समान हो जाय।"¹

नियम की परिभाषा (Definition of the Law) :

प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करना चाहता है। परन्तु घन तथा समय सीमित होने के कारण अधिकतम सन्तुष्टि पाने के लिए उसे विभिन्न सन्तुष्टियों का इस प्रकार चुनाव करना होता है कि उपभोग बन्द करते समय उसे प्रत्येक चुनाव

1. "If it is not possible to gratify all points to the point of satiety, it is necessary, in order to obtain maximum satisfaction, to discontinue the satisfaction of different wan's at the point at which their intensity has become equal."

—Gossen

से समान सन्तुष्टि प्राप्त हो सके। मार्शल ने इस नियम को इस प्रकार स्पष्ट किया है, “यदि एक व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है, जिसको कई प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है तो वह उसे (वस्तु को) विभिन्न उपयोगों में इस प्रकार बाँटेगा जिससे प्रत्येक उपभोग से समान सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो सके।”¹ प्रो० मेहता ने इस नियम की परिभाषा में निश्चित काल पर विशेष जोर दिया है। उनके अनुसार, “यदि एक निश्चित काल में कोई वस्तु कई आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है तो उसकी एक निश्चित मात्रा से अधिकतम सन्तोष प्राप्त करने के लिए, उसे कई अलग-अलग आवश्यकताओं के बीच इस प्रकार बाँटना चाहिए कि उस निश्चित काल में सभी दशाओं में उसकी सीमान्त उपयोगिता लगभग समान हो।”²

नियम का विश्लेषण (Analysis of the Law) :

उपयोगिता हास नियम यह बतलाता है कि यदि उपभोक्ता किसी वस्तु की मात्रा लगातार बढ़ाता जाता है तो प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त उपयोगिता कमशः

-
1. "If a person has a thing which he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that it has the same marginal utility in all."

—Marshall

2. "If a commodity can satisfy many wants within a given period of time then in order to get greatest satisfaction from a given quantity of it, its amount should be so distributed between various wants as to make its marginal utility with reference to a given period of time as nearly equal in all cases as possible.

—J. K. Mehta

घटती जाती है। अतः यदि वह उस वस्तु की अधिक मात्रा न खरीद कर उसके स्थान पर कोई अन्य वस्तु खरीद ले तो उसे सम्भवतः अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी : इस प्रकार वह कम उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तु खरीदता है। अर्थात् वह एक वस्तु का प्रतिस्थापन (Substitution) दूसरी वस्तु से करता है। विभिन्न वस्तुओं की क्रमागत इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता को ध्यान में रखकर वह अधिकतम उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तुओं को खरीदता है। यदि इस विधि द्वारा उसकी कुल मुद्रा वस्तुओं के खरीदने में ब्यय कर दी जाती है तो उपभोक्ता को प्रत्येक वस्तु पर ब्यय की गई मुद्रा की अन्तिम इकाई से प्राप्त वस्तु की इकाई से समान सीमान्त उपयोगिता प्राप्त होती है। इस प्रकार व्यय के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि सम-सीमान्त उपयोगिता नियम यह बतलाता है कि निश्चित आय में से विभिन्न वस्तुओं पर किए गए समस्त व्यय, सीमान्त पर विभिन्न वस्तुओं की सीमान्त इकाई से समान उपयोगिता प्रदान करते हैं।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण : एक उदाहरण द्वारा इस नियम को और स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति के पास कुल दस रुपये हैं। वह नारंगी, सेब तथा मिठाई पर अपने रुपये व्यय करना चाहता है। उसे नारंगी, सेब तथा मिठाई की प्रत्येक इकाई का मूल्य एक रुपया के रूप में देना पड़ता है। अब हमें यह देखना है कि वह व्यक्ति अपने दस रुपये को इन तीनों वस्तुओं पर किस प्रकार से व्यय करेगा ताकि उसे अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सके। मुद्रा को विभिन्न इकाइयों को इन तीनों वस्तुओं की खरीद पर व्यय करने से मान लीजिए उसे निम्नलिखित उपयोगिताएँ प्राप्त हो सकती हैं :

नारंगी, सेब तथा मिठाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता


मुद्रा की इकाइयाँ	सीमान्त उपयोगिता		
	नारंगी	सेब	मिठाई
1	17 (1)	13 (2)	11 (4)
2	12 (3)	10 (5)	8 (7)
3	9 (6)	7 (9) [30]	7 (10) [26]
4	7 (8) [45]	6	5
5	5	4	3

रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण (Diagrammatic Representation) :

(i) नीचे दिए गए चित्र में आधार रेखाओं-OX पर नारंगी, सेब तथा मिठाई पर व्यय की गयी रूपयों की इकाइयाँ तथा अहीं रेखाओं-OY पर उन वस्तुओं की उपयोगिताएँ दिखलायी गयी हैं। आधार रेखाओं पर बने आयत

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम

(Rectangles) रूपये की प्रत्येक इकाई के व्यय से प्राप्त इन वस्तुओं की उपयोगिताओं को व्यक्त करते हैं। गहरे रंग के आयत तीनों वस्तुओं की समान सीमान्त



चित्र सं० 5

उपयोगिता को प्रदर्शित करते हैं। इन आयतों के ऊपरी भाग को छूती हुयी खींची गयी रेखा सम-सीमान्त उपयोगिता की रेखा है, जो आधार रेखा के समानान्तर होती है।

"In distributing a given income over different items of expenditure, the maximum total utility is obtained only when the marginal utility in all cases is the same."

नियम की मान्यताएँ (Assumptions of the Law) :

इह नियम इन मान्यताओं पर आधारित है कि (i) उपभोक्ता अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करना चाहता है, (ii) उपभोक्ता की आय सीमित होती है तथा वह अपनी आय का उपयोग विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लारीदारों के लिए करता है, (iii) वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता मापी जा सकती है, अर्थात् हम विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं को संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, (iv) वस्तुएँ छोटी तथा विभाज्य हैं, (v) उपभोक्ता अपनी आय सोच-रागभ कर विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करता है, (vi) आय तथा व्यय की अवधि एक ही है, (vii) मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता समान रहती है, तथा (viii) अन्य बातें—उपभोक्ता की आय, स्वभाव तथा वस्तुओं के मूल्य आदि—पूर्ववत् रहती हैं।